

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1693
05 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए
एसबीएम-यू के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण

†1693. श्री सुदामा प्रसादः

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान निर्मित सार्वजनिक और घरेलू शौचालयों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) एसबीएम-यू के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश के अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में घरेलू और सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिए स्वीकृत और उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) उक्त मिशन के अंतर्गत घटिया शौचालयों के निर्माण, निर्माण में विलम्ब और निधियों के दुरुपयोग के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और उन पर क्या कार्रवाई की गई; और
- (घ) निर्माण के लिए लंबित सार्वजनिक और घरेलू शौचालयों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या और तत्संबंधी की गई कार्रवाई क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क): पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) के अंतर्गत देश के शहरी क्षेत्रों में निर्मित सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (आईएचएचएल) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या का विवरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

(ख): पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश के शहरी क्षेत्रों में व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (आईएचएचएल) और सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए

एसबीएम-यू के अंतर्गत स्वीकृत और उपयोग की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-। में दिया गया है।

(ग): संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत स्वच्छता राज्य का विषय है। देश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता परियोजनाओं की आयोजना, डिजाइन और इन्हें निष्पादित करना राज्य/यूएलबी का उत्तरदायित्व है। इस संबंध में कोई भी शिकायत राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के यूएलबी के दायरे में आती हैं। मंत्रालय स्तर पर ऐसी कोई जानकारी नहीं रखी जाती है।

(घ): एसबीएम-यू 2.0 के अंतर्गत कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में अनुमोदित सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (आईएचएचएफ) की संख्या का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक -॥ में दिया गया है।

"एसबीएम-यू के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण" के संबंध में दिनांक 05.12.2024 को उत्तर दिए जाने हेतु
लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1693 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	शौचालयों का निर्माण (आईएचएचएल और सीटी/पीटी)		शौचालय निर्माण हेतु निधियां		
	पिछले 5 वर्षों में	वर्तमान वर्ष में	मिशन आबंटन		वर्ष 2019-20 से उपयोग/दावा की गई निधियां
			एसबीएम-यू (2014- 2021)	एसबीएम-यू 2.0 (2021- 2026)	
आंध्र प्रदेश	32552	0	212.03	47.10	63.17
अंडमान और निकोबार	258	0	0.53	0.50	1.07
अरुणाचल प्रदेश	4177	1863	13.75	1.00	5.93
असम	74927	573	84.26	14.20	33.93
बिहार	235020	10831	237.17	37.90	0.16
चंडीगढ़	188	0	2.98	3.30	2.05
छत्तीसगढ़	19191	6	175.16	19.10	3.05
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	896	0	1.72	1.10	0.00
दिल्ली	9352	51	55.31	10.00	0.00
गोवा	4178	1	3.69	2.90	1.32
गुजरात	7958	0	194.78	83.00	26.34
हरियाणा	11885	111	67.28	28.50	0.00
हिमाचल प्रदेश	7066	0	14.92	2.20	9.00
जम्मू और कश्मीर	35437	0	106.32	10.30	21.66
झारखण्ड	11920	14	113.49	25.60	0.00
कर्नाटक	193708	0	202.66	76.10	0.00
केरल	9189	0	72.15	51.40	4.11
लद्दाख	604	24	0.00	0.70	0.18
मध्य प्रदेश	112496	0	358.21	64.70	36.17
महाराष्ट्र	146093	7813	417.47	163.80	74.35
मणिपुर	34466	559	47.74	2.50	19.54
मेघालय	837	0	5.98	1.90	2.78
मिजोरम	10908	1111	18.16	1.80	22.68

नागालैंड	14857	1023	26.78	8.17	14.24
ओडिशा	104660	21294	195.15	22.60	14.94
पुदुचेरी	2602	27	8.35	1.45	0.58
पंजाब	23736	0	87.11	33.50	31.64
राजस्थान	52375	0	260.74	54.90	23.49
सिक्किम	585	90	2.69	0.50	2.19
तमिलनाडु	177387	30578	277.54	112.50	71.56
तेलंगाना	19267	0	153.55	43.90	42.34
त्रिपुरा	22068	1947	68.77	3.10	17.60
उत्तर प्रदेश	646418	2416	553.31	143.40	31.94
उत्तराखण्ड	15831	2275	31.89	9.80	11.71
पश्चिम बंगाल	7720	0	340.15	93.80	47.45

"एसबीएम-यू के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण" के संबंध में दिनांक 05.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1693 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत की संख्या	
		व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल), संख्या	सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय (सीटों की संख्या)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	30
2	आंध्र प्रदेश	72892	2424
3	अरुणाचल प्रदेश	0	64
4	असम	0	912
5	बिहार	0	369
6	चंडीगढ़	0	0
7	छत्तीसगढ़	0	2004
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0
9	दिल्ली	0	0
10	गोवा	0	524
11	गुजरात	30189	8209
12	हरियाणा	0	0
13	हिमाचल प्रदेश	3528	294
14	जम्मू और कश्मीर	51	3087
15	झारखण्ड	2889	5973
16	कर्नाटक	16968	9796
17	केरल	17998	7553
18	लद्दाख	200	181
19	मध्य प्रदेश	650	8610
20	महाराष्ट्र	188334	31358
21	मणिपुर	0	261
22	मेघालय	925	87
23	मिजोरम	133	108
24	नागार्जुना	3586	385
25	ओडिशा	17770	3288
26	पुदुचेरी	555	99
27	पंजाब	7204	5536
28	राजस्थान	41059	6320
29	सिक्किम	0	36
30	तमिलनाडु	78032	20564
31	तेलंगाना	0	1357

32	त्रिपुरा	0	0
33	उत्तर प्रदेश	44153	23994
34	उत्तराखण्ड	5400	323
35	पश्चिम बंगाल	28768	17154